भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2524

मंगलवार, 10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विश्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण

2524. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विनिर्माताओं को भारत में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अनेक विनिर्माताओं ने कहा है कि व्यापार लाइसेंस तथा परमिट लेना एक बड़ी बाधा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एकल खिड़की स्वीकृति शुरू करके सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को सुचारू बनाने और इसे बाधा मुक्त क्षेत्र बनाने के उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): विश्व बैंक द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण विभाग को नहीं सौंपा गया है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) डीपीआईआईटी द्वारा शुरु की गई पहल है, जिसे nsws.gov.in के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। यह विनिर्माण सहित उद्योग के लिए देश में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ गवर्नमेंट टु बिजनेस (जी2बी) अनुमोदनों और निवेशक-संबंधी मंजूरियों को सुविधाजनक बनाने के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यह जानकारी में एकरूपता लाकर तथा अनेक विभागीय पोर्टलों को देखने की आवश्यकता को न्यूनतम करके, जी2बी अनुमोदनों को सुगम बनाता है जिससे व्यवसायों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बाधारहित बन जाती है। यह पोर्टल निर्बाध लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भी युक्त है।

वर्तमान में, 277 केंद्रीय अनुमोदनों और 2977 राज्य अनुमोदनों तक पहुंच के साथ, 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसडब्लयूएस पर एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, व्यावसायिक उद्यमों के लिए मुक्त प्रवाह और पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए 659 केंद्रीय अनुमोदनों और 6353 राज्य अनुमोदनों से संबंधित नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल लाइव है। अब तक, एनएसडब्ल्यूएस के जरिए 7.6 लाख अनुमोदनों के लिए आवेदन किए गए हैं।

*****